



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-05.06.2024

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मंडुवाडीह में गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड।

थाना मंडुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-043/2004 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मतीन पुत्र मद्दू खान निवासी गणेश जी मन्दिर के पीछे थाना मंडुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मंडुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-05.06.2024 को माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगे0 एक्ट/ ASJ-13 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त मतीन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।